झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 2770/2010

---

1. देव नारायण प्रसाद उर्फ देव नारायण साहू, पिता- श्री वृंदा साव

2. संजय कुमार गुप्ता उर्फ संजय कुमार साहू, पिता- देव नारायण प्रसाद।

दोनों निवासी- गांव- बालूमाथ, डाकख़ाना और थाना- बालूमाथ, जिला- लातेहार

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, द्वारा श्रम आयुक्त, झारखंड राज्य, रांची

2. उपायुक्त, लातेहार.

3. अंजनी कुमार पांडे, पिता- नामालूम (याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं), महासचिव, झारखंड जनरल कामगार यूनियन (पंजीकरण सं. 144/77) जिसका कार्यालय सर्वे मैदान कचहरी, डाकख़ाना- रांची, थाना-कोतवाली, जिला- रांची है

...उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री सचिनंदन दास, अधिवक्ता

श्री ओम प्रकाश सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी राज्य की ओर से : श्री शुभम गौरव, AC to AAGV

उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से : व्यक्ति गत रूप से

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ एम.डब्ल्यू. केस सं. (M.W. Case) 19/2008 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के

साथ दायर की गई है जिसमें श्रम न्यायालय, रांची द्वारा पारित दिनांक 24.02.2010 का आदेश भी शामिल है, जिसकी प्रतिलिपि इस रिट याचिका के अनुलग्नक-9 के रूप में संलग्न है जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रांची ने उत्तरवादी सं. 3 द्वारा 47 कामगारों की ओर से न्यूनतम मजदूरी और एकमुश्त मुआवजे के अंतर को प्रदान करने के लिए दायर आवेदन को मंज़ूरी दी।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 47 आवेदकों ने, जिनके नाम एम.डब्ल्यू. केस सं. 19/2008 में पारित दिनांक 24.02.2010 के फाइनल आदेश में दर्शनीय हैं, 15.02.07 से 23.09 .2008 तक विपक्षी के भवन निर्माण में काम किया। राजमिस्त्री को 110 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाती थी और महिला मजदूरों (रेजा) को 40 रुपये प्रतिदिन, और पुरुष मजदूरों (कुली) को 50 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती थी। 15.02.2007 से 23.09.2008 तक 576 दिनों की अवधि के लिए 47 मजदूरों को लगाया गया था और 15.02.2007 से 23.09.2008 तक 47 कामगारों को (भुगतान की गई) राशि और न्यूनतम मजदूरी के बीच का अंतर 2,41,200 रुपये था। रिट याचिकाकर्ता, जो श्रम न्यायालय में विरोधी पक्ष था, ने श्रम न्यायालय में दायर अपने कारण बताओ नोटिस में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत दावा आवेदन की पोषणीयता को चुनौती दी। रिट याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष ने इस विशाल निर्माण कार्य से किसी भी तरह का सरोकार होने से इनकार किया जब कि आवेदकों का दावा है कि उन्हें मजदूर के रूप में लगाया गया था। विपक्षी ने दावा किया कि वह न्यायाधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर रहा है। श्रम न्यायालय में आवेदक ने पांच गवाहों की परीक्षण की, जबकि विपक्षी द्वारा चार गवाहों का परीक्षण कराया गया। विपक्षी ने तीन दस्तावेजात भी साबित किए, जिन्हें प्रदर्श ए से प्रदर्श सी के रूप में चिह्नित किया गया है।

4. डी.डब्लू. 1 (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने कहा कि वह विपक्षी के गृह निर्माण कार्य में राजमिस्त्री था और वहां 47 मजदूर काम कर रहे थे और वह 15.02.2007 से 23.09.2008 तक वहां काम किया। उसने आगे कथन किया कि राजमिस्त्री को 110/- रुपये प्रतिदिन, पुरुष मजदूरों को 50/- रुपये प्रतिदिन और महिला मजदूरों को 40/- रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया गया था, और 15.02.2007 से 23.09.2008 तक, 576 दिनों की पूरी अवधि के लिए इन सभी 47 मजदूरों के लिए भुगतान की गई न्यूनतम और भुगतानित मजदूरी के बीच का अंतर 2,41,200/- रुपये है। अपने जिरह (प्रति परीक्षा) में उसने कहा है कि बस स्टैंड के पास भवन का निर्माण किया गया था और संजय साहू ने उसे वहां रखा है। डी.डब्लू. 1 के इस परिसाक्ष्य के संबंध में कोई जिरह (प्रति परीक्षा) नहीं किया गया है कि 47 कामगारों को दी गई अंतर मज़दूरी और 576 दिनों की पूरी अवधि के लिए उन्हें दिए गए न्यूनतम वेतन के अनुसार देय राशि 2,41,200/- रुपये है।

5. प्रतिरक्षा साक्षी (डी.डब्लू.) 2 से 5 ने भी प्रतिरक्षा साक्षी 1 (डी.डब्लू. 1) के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है।

6. विपक्षी साक्षी-1 (ओ.पी.डब्लू. 1) ने कथन किया कि मजदूरों ने कभी उनके घर के निर्माण कार्य में काम नहीं किये, क्योंकि घर का निर्माण कार्य मई, 2007 में पूरा हो गया था। उन्होंने 01.11.2005 से 31.06.2006 की अवधि के किरायेदारी करार (tenancy agreement) की प्रति भी दाखिल की है, जिसे प्रदर्श- ए, बी और सी के रूप में चिह्नित किया गया है। ओ.पी.डब्लू.1 ने अपने जिरह (प्रति परीक्षा) में कहा कि प्रदर्श 'ए, 'बी' और 'सी' के तहत दर्ज समझौते (करार) में भूमि के क्षेत्रफल क उल्लेख नहीं है।

7. विपक्षी साक्षी-2 (ओ.पी.डब्लू. 2)- चंदन कुमार ने कथन किया है कि वह विपक्षी साक्षी-1 (ओ.पी.डब्लू. 1) के मकान में किराएदार था।

8. विपक्षी साक्षी-3 (ओ.पी.डब्लू. 3) स्वंय विपक्षी संख्या 2 है। उसने कथन किया है कि मई, 2003 के बाद काम हुआ और उसकी पत्नी ने मकान का कुछ हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया। विपक्षी साक्षी-3 (ओ.पी.डब्लू. 3) ने अपने जिरह (प्रति परीक्षा) में स्वीकार किया है कि समझौते (करार) के लिए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 02.03.2006 की तारीख है, हालाँकि समझौते (करार) की तारीख 01.11.2005 है।

9. श्रम न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता का दावा वास्तविक (genuine) है। विपक्षी संख्या 1 और 2 के बालूमाथ स्थित मकान के निर्माण कार्य में 15.02.2007 से 23.09.2008 तक 47 मजदूरों ने काम किया है, लेकिन याचिकाकर्ता के दावे से बचने के लिये विपक्षी ने 01.11.2005 का झूठा समझौता (करार) दाखिल किया है, क्योंकि, स्वीकार्यतः, चूंकि गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर 02.03.2006 को खरीदा गया था, इसलिए 01.11.2005 का समझौता (करार) ऐसे स्टाम्प पेपर पर, इसकी खरीद से पहले, निष्पादित नहीं किया जा सकता था और भूमि का क्षेत्रफल 99.5 दशमलव पर विचार करते हुए, यह मताभिव्यक्ति की गयी कि 23.09.2008 से पहले उस पर निर्माण पूरा नहीं किया जा सकता था। अतः श्रम न्यायालय को ऐसा प्रतीत हुआ कि विपक्षीगण के गवाह विश्वसनीय नहीं हैं, तथा उसने पाया कि राजमिस्त्री, पुरुष एवं महिला मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान नहीं किया गया है तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत याचिका ससंघर्ष अनुज्ञात कर ली। विपक्षीगण को न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर की राशि 2,41,200/- रूपये तथा एकमुश्त मुआवजे के रूप में 2,41,200/- रूपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया। इस प्रकार कुल 4,82,400/- रूपये का भुगतान करने का

निदेश दिया गया, जिसे आदेश के तीस दिनों के भीतर, दावा आवेदन के साथ संलग्न बकाया राशि के चार्ट के अनुसार, वितरित किया जायेगा।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिनन्दन दास ने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में असफल रहा तथा अनावश्यक रूप से, बिना किसी आधार के, यह अभिनिर्धारित किया कि विपक्षीगण द्वारा परीक्षित गवाह विश्वसनीय नहीं हैं। इसके बाद यह दलील दी गई कि विद्वान श्रम न्यायालय को यह निर्धारण करना चाहिए था कि मकान का निर्माण रिट याचिकाकर्ताओं की मां ने मई, 2003 में एक ठेकेदार और केवल सात मजदूरों को काम पर रखकर करवाया था। श्री दास ने आगे दलील दी कि उत्तरवादी संख्या 3- अंजनी कुमार पांडे, जो झारखंड जनरल कामगार यूनियन के महासचिव होने का दावा करते हैं, याचिकाकर्ता संख्या 1 और उनकी पत्नी द्वारा उनकी अवैध मांग को पूरा न किए जाने के अपने द्वेष और असंतोष को पूरा करने के लिए और इस तथ्य के कारण कि उक्त अंजनी कुमार पांडे ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और उनकी पत्नी को धमकी दी थी कि वह दिखाएगा कि वह याचिकाकर्ता संख्या 1 और उनकी पत्नी से पैसे कैसे ऐंठ सकता है, ने गुप्त अभिप्राय से यह झूठा मामला थोपा है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि अनुसूची कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आवेदनों के विभिन्न अनुलग्नकों से पता चलता है कि कार्य के दिनों की संख्या 576 दर्शाई गई है तथा 90 दिनों की मजदूरी बकाया है, जो मजदूरी भुगतान अधिनियम, या औद्योगिक विवाद (आई.डी.) अधिनियम की धारा 33 (सी)(2) के अंतर्गत आने वाला मामला हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का मामला नहीं हो सकता है, तथा यदि आवेदन को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी)(2) के अंतर्गत माना जाता है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत मुआवजे के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, यह कथन किया गया कि 24.02.2010 के आदेश का वह भाग जिसके द्वारा श्रम न्यायालय, रांची ने एकमुश्त मुआवजे के भुगतान का निदेश दिया है, उसे अपास्त और रद्द कर दिया जाए। इसके बाद यह कथन किया गया कि श्रम न्यायालय को आवेदकों के इस तर्क पर विश्वास नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने मजदूरी के भुगतान के बिना 90 दिनों तक काम किया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस रिट याचिका में की गई प्रार्थना को अनुज्ञात किया जाये।

11. उत्तरवादी संख्या 3, जो व्यक्तिगत रूप से स्वंय उपस्थित होता है, इस न्यायालय का ध्यान जवाबी हलफनामे की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि आवेदन इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (6) के तहत अपील का वैकल्पिक उपाय है। इसके बाद उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया कि न्यूनतम

मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (5) (ए), जिसे बिहार राज्य द्वारा अधिनियम संख्या 09 /1988 द्वारा 12.02.1988 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, जो झारखंड राज्य में लागू है, में यह परिकल्पना की गई है कि सुनवाई के समय, प्राधिकरण, नियोक्ताओं को मुआवजे की राशि को छोड़कर, प्राधिकरण के पास दावे की राशि का कम से कम 50% जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है और इसे दावेदार को भुगतान किया जा सकता है, जिसे डिक्री की गई राशि के साथ समायोजित किया जाएगा और ऐसे भुगतान से बचने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (6) के तहत वैधानिक अपील दायर करने के बजाय, जैसा कि बिहार राज्य द्वारा अधिनियम संख्या 09/1988 द्वारा 12.02.1988 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, यह रिट याचिका दायर की गई है, जो अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और, इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने दावा राशि का कम से कम 50% जमा करने से परहेज किया । इसके बाद यह दलील दी गई कि यह रिट याचिका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के निर्धारित अवधि की समय-सीमा से परे दायर की गई है, क्योंकि यह रिट याचिका 07.06.2010 को दायर की गई, यानी 30 दिनों की अवधि से परे; जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की उप-धारा 26 (ए) के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय-सीमा है, जिसे बिहार राज्य द्वारा 12.02.1988 से प्रभावी अधिनियम संख्या 09/1988 द्वारा संशोधित किया गया था। इसलिए, यह दलील दी गई कि इस रिट याचिका को बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाए।

12. न्यायालय के समक्ष उपस्थित मुख़ालिफ़ाना दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूवर्क अध्यन करने के बाद, इस न्यायालय क यह सुविचारित विचार है कि, चूंकि आक्षेपित आदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20 (2) के तहत, उसे तात्पर्यित प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित किया गया था; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20(6) के तहत अपील दायर करने का एक वैधानिक उपाय है, जैसा कि बिहार राज्य द्वारा अधिनियम संख्या 09 /1988 द्वारा 12.02.1988 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, लेकिन दो राइडर के साथ, यथा, ऐसी अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जानी है और, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 6 (ए) के तहत, अपीलीय प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को बिहार राज्य द्वारा अधिनियम संख्या 09/1988 के माध्यम से 12.02.1988 के प्रभाव से संशोधित धारा 20 (6) के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील तैयार करने में, पर्याप्त कारण से बाधित किय गया था, तो अपील को निर्धारित सीमा अवधि के आगे मज़ीद तीस दिन के भीतर पेश करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (5) (ए) के तहत, जैसा कि बिहार राज्य द्वारा अधिनियम संख्या 09/1988 द्वारा 12.02.1988 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, नियोक्ता को मुआवजे की राशि को छोड़कर, दावा की गई राशि का कम से कम 50% अपीलीय प्राधिकारी

के पास जमा करने का निदेश देने की शक्ति है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता ने कोई उचित कारण बताए बिना कि उसने वैधानिक उपाय का लाभ क्यों नहीं उठाया, बजाय़ इसके, यह रिट याचिका दायर की है; निर्धारित सीमा अवधि के बाद और उसके द्वारा जमा की जाने वाली, दावा की गई राशि का 50% भुगतान करने के निदेश दिए जाने के जोखिम से बचने के लिए और, यह मामला ऐसा नहीं है जहां रिट याचिकाकर्ता ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी के बारे में कोई ठोस कारण बताया हो। इसके अलावा **सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन और अन्य ए.आई.आर. 1964 एस.सी 477** में प्रकाशित, में के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, ,पैराग्राफ-7, जो इस प्रकार पठित है: -

> *"7. अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बारे में, उठते प्रश्न पर, इस न्यायालय द्वारा बार बार विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। उत्प्रेषण रिट अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहाँ अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे बाहर जाकर, या उन्हें दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहने, के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट तब जारी की जा सकती है जब उसे दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, मिसाल के तौर पर, यह, आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का विनिश्चय करता है, या जहाँ विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और इसका .प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य क मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है, यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने ग्राह्य और तात्विक साक्ष्य को ग्रहण करने में गलती -(भूल) से इनकार कर दिया था, या अग्रहणीय- साक्ष्य को गलती (भूल) से स्वीकार कर लिया था, जिससे आक्षेपित निष्कर्ष प्रभावित हआ है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे विधि की त्रुटि माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक*

किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर प्रमाणिक रिट की कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य आपत्तिजनक निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अनुप्युक्त थे। किसी बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य की उपयुक्तता या पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकले जाने वाले तथ्य के निष्कर्ष न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, और उक्त बिंदुओं को रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। इन्हीं सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए, प्रदान किए गए अधिकार क्षेत्र का, वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है (ब-हवाला- हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक [(1955) 1 एस.सी.आर. 1104] नागेंद्र नाथ बोरा बनाम कमिश्नर ऑफ हिल्स डिवीजन एंड अपील्स असम [(1958) एस.सी.आर. 1240] और कौशल्या देवी बनाम बचित्तर सिंह [ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1168]"

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह ऐसा मामला है जिसमें न तो श्रम न्यायालय द्वारा किसी ग्राह्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया हो, और न ही श्रम न्यायालय ने किसी अग्राह्य साक्ष्य को स्वीकार किया है, और चूंकि यह कोई साक्ष्यविहीन पर आधारित मामला नहीं है, और तथ्य यह है कि आवेदकों द्वारा अपने बयान में किया गया दावा, और यह कि आवेदक की ओर से परीक्षित पी.डब्लू.1 (आवेदक साक्षी-1) और अन्य साक्षियों का प्रति परीक्षण चुनौती-रहित रहा है और इस प्रकार, किसी जिरह के ग़ैरमौजूदगी में, इसे विपक्षी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया माना जायेगा, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यह ऐसा ठीक मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

13. तदनुसार, यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी.)

झरखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक, 27 फरवरी, 2024
ए.एफ.आर. /अनिमेष

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।